फुल डाब्ट न्यायाल० ...

न्यायालय एस0डी0ओ0 गाजियाबाद।

वाद संख्या - 03/2009 अ0धारा-143 उ0प्र0 जमींन वि0 एंव भू0व्य0अधि0

श्री ज्वालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम गांव सभा दुहाई,

मौजा - दुहाई

"निर्णय"

प्रस्तुत वाद पी0 एन0 गर्ग अध्यक्ष श्री ज्वालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट ग्राम दुहाई, परगना जलालाबाद, तहसील गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद द्वारा खाता सं0 733 के खसरा नं0 584 कुल रकबा 0.994 है लगानी रुपया 48.90 पैसा स्थित दुहाई परगना जलालाबाद, तहसील गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद को अकृषित भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल/ना0 तह0 भोजपुर द्वारा उ0प्र0ज0वि0 एंव भू0व्य0अधि0 की धारा-143 के सपठित नियम-135 मे विहित रुप पर प्रस्तुत स्थानीय जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 16.02.2009 व 24.02.2009 जो तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा दिनांक 02.03.2009 को अर्कषण कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है के आधार पर योजित हुआ है।

उक्त जाँच आख्या में उद्धरत किया गया है कि खसरा नं0 584 कुल रकबा 0.994 है0 लगानी रुपया 48.90 पैसा पर आबादी(भवन) बना हुआ है कृषि नही होता है तथा संदर्भित भूमि को उ0प्र0ज0वि0 एंव भू0व्य0अधि0 की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषित भूमि के प्रख्यापन कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

नियमानुसार वाद तामीला नोटिस सहखातेदार की ओर से विद्वान नामिका वकील /माल /ग्राम प्रस्तुत जवाबदाता में उद्धरत किया गया है कि संदर्भित प्रश्नगत भूमि का गांव सभा के कोई वास्ता ताल्लुक अंकित होने के कारण गांव सभा को प्रश्नगत भूमि को आबादी घोषित करने मे कोई आपत्ति/विधिक दोष प्रतीत नहीं होता है।

वाद के परिपेक्ष्य में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्को का अनुश्रवण तथा पत्रावली का अध्ययन एंव परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया कि मौका पर संदर्भित भूमि कृषि कार्यो से भिन्न भवन निर्माण होकर शिक्षण संस्थान रुप में उपयोग में आ रहा है। जैसा कि हल्का लेखपाल/ना0तह0 की पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या उपरोक्त एंव संदर्भित भूमि से संबंधित वर्ष 1417 फ0 की पत्रावली पर उपलब्ध इन्तखाब खसरा के अवलोकन से विदित है।

क्रमशः पेज-2 पर